रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 1974/फाल्गुन 24, 1895

No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 1974/PHALGUNA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th March 1974

SUBJECT.—*Amendment in Bonafide Personal Baggage rules regarding "Curios".*

No. 13-ETC(PN)/74.—Reference Appendix 10 of the Export Trade Control Hand Book of Policy and Procedure, 1970, relating to export of Bonafide Personal Baggage.

2. It has been decided to:—

(i) Add the following after the words "Indian Curios" appearing in line 7 of Item No. (1)A (ii) and after words "Curios of Indian make" appearing at item No. (1)B (14) at pages 152 and 154, respectively, of the ETC Hand Book of Policy and Procedure, 1970:—

"Not made of tiger, leopard or panther or any wild animal skins included in Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968".

(ii) Delete Item No. (1)B (18), i.e. Articles made of crocodile skins—in reasonable quantities, appearing at page 154 of the ETC Hand Book of Policy and Procedure, 1970.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1974

विषय.—"कलाकृतियां" से संबन्धित वास्तविक निजी असबाब नियम में संशोधन ।

संख्या 13-ई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वास्तविक निजी असबाब के निर्यात से सम्बन्धित निर्यात व्यापार नियंत्रण हैन्डबुक नीती और क्रियाविधि, 1970 के परिशिष्ट 10 के संदर्भ में ।

2. यह निश्चय किया गया है कि :—

(1) निर्यात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक नीति और क्रियाविधि, 1970 के क्रमशः पृष्ठ 152 और 154 पर की मद संख्या (1) ए० (2) की पंक्ति 7 में शब्द "भारतीय कलाकृति" के बाद और मद संख्या (1) बी (14) पर के शब्द "भारतीय मेक की कलाकृति" के बाद निम्नलिखित को जोडा जाय :—

"निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग "ए" सहित बाघ चीता या तेन्दुआ या और किसी जंगली जानवर के चमडे से नहीं बने हुए ।

(2) मद संख्या (1) (बी०) (18) अर्थात् निर्यात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक, नीति तथा क्रियाविधि, 1970 के पृष्ठ 154 पर का यथोचित यमात्रा में घड़ियाल चर्म से निर्मित सामग्री को हटाया जाए ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974